रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032024-253078 CG-DL-E-15032024-253078

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 197]

No. 197]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 15, 2024/फाल्गुन 25, 1945 NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 15, 2024/PHALGUNA 25, 1945

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2024

सा.का.िन. 211(अ).— जबिक पेटेंट नियम, 2003 में और संशोधन करने के लिए, पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 159 की उप धारा (3) की अपेक्षा के अनुसार, कितपय नियमों के मसौदे को, वाणिज्य और मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग) भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 619 (अ) दिनांक 23 अगस्त, 2023 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, जिसके माध्यम से, इससे प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

और, जबिक, उक्त अधिसूचना की प्रतियां आम लोगों को 23 अगस्त, 2023 को उपलब्ध करा दी गईं थीं।

और, जबिक, उक्त मसौदा नियमों के संबंध में आम लोगों से प्राप्त आपित्तयों और सुझावों पर विधिवत रूप से केंद्र सरकार द्वारा विचार किया गया है।

अतः अब, पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 159 (1970 का 39) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा पेटेंट नियम, 2003 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः -

- 1. (1) इन नियमों को पेटेंट (संशोधन) नियम, 2024 कहा जाएगा।
 - (2) ये नियम आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2018 GI/2024 (1)

- 2. पेटेंट नियम, 2003 में, जिसे इसके बाद उक्त नियम कहा गया है, नियम 12 में, -
 - (i) उप नियम (2) में, 'ऐसी फाइलिंग की तारीख से छ: माह' शब्दों को 'नियम 24ख के उप नियम (3) अथवा नियम 24ग के उप नियम (8) के तहत आपत्ति का प्रथम विवरण जारी किए जाने की तारीख से तीन माह' शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 - (ii) उप नियम खंड (3) के लिए, निम्नलिखित उप नियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-
 - '3. नियंत्रक, भारत के बाहर किसी देश में फाइल किए गए आवेदन से संबंधित जानकारी पर विचार करने के लिए, पहुंच वाले और उपलब्ध डाटाबेस का इस्तेमाल कर सकता;
 - 4. नियंत्रक, धारा 8 की उप-धारा (2) के तहत, लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, नियंत्रक द्वारा ऐसी सूचना मांगने की तारीख से दो माह के भीतर, आवेदक को प्रपत्र 3 में नया विवरण और घोषणापत्र प्रस्तुत करने का निदेश दे सकता है।
 - 5. नियमों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, नियंत्रक प्रपत्र 4 में अनुरोध किए जाने पर 3 माह की अविध के लिए प्रपत्र 3 की फाइलिंग में विलंब को माफ कर सकता है अथवा समय को बढ़ा सकता है।'
- 3. उक्त नियम के नियम 13 में उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप नियम को शामिल किया जाएगा, नामत: -
 - '(2क) कोई पेटेंट आवेदक, यदि वह चाहे तो, अनंतिम अथवा संपूर्ण विनिर्देश में उल्लिखित आविष्कारों अथवा धारा 16 के अंतर्गत आगे आवेदन फाइल करने सहित, धारा 16 के तहत एक या अधिक भाग के रूप में आगे आवेदन दायर कर सकता है।'
- 4. उक्त नियमों के नियम 24ख में,-
 - (क) उप-नियम (1) में,
 - (i) 'अड़तालीस महीने' शब्द जहां भी आया हो, उसे 'इकतीस महीने' शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 - (ii) उप-नियम (1) में, खंड (v) के बाद निम्नलिखित खंड को शामिल किया जाएगा, नामत:-
 - '(vi) पेटेंट (संशोधन) नियम, 2024 के लागू होने से पहले, दायर किए गए आवेदन के संबंध में, इस उप-नियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, धारा 11ख की उप-धारा (1) के तहत जांच का अनुरोध पेटेंट (संशोधन) नियम, 2024 के लागू होने से पहले इस उप नियम के तहत विनिर्दिष्ट अविध होगी।'
 - (ख) उप-नियम (6) में, 'उप-नियम (5) में विनिर्दिष्ट' शब्दों, कोष्ठकों और अंकों को 'इसमें विनिर्दिष्ट' शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- 5. मूल नियम के नियम 24ग में, उप-नियम (11) में, 'उप-नियम (10) में विनिर्दिष्ट' शब्दों, कोष्ठकों और अंकों को 'इसमें विनिर्दिष्ट' शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- उक्त नियमों में, नियम 29 के बाद, निम्नलिखित नियम को शामिल किया जाएगा, नामत: '29क. रियायत अविध धारा 31 के तहत विनिर्दिष्ट अविध प्राप्त करने के लिए प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट शल्क सहित प्रपत्र 31 में आवेदन दायर किया जाएगा।'
- 7. उक्त नियमों में, नियम 55 में:
 - (क) उप-नियम (3) को निम्नलिखित उप नियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः
 - "(3) अभ्यावेदन पर विचार करते हुए यदि नियंत्रक संतुष्ट है कि -
 - (क) यदि अभ्यावेदन में प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है, तो वह विरोधकर्ता को तदनुसार सूचित करेगा, और -
 - (i) जब तक विरोधकर्ता इस मामले में सुनवाई का अनुरोध नहीं करता है, तब तक नियंत्रक ऐसी अधिसूचना की तारीख से एक माह के भीतर अभ्यावेदन से इनकार करने के आधारों को रिकॉर्ड करते हुए एक स्पष्ट आदेश पारित करेगा।

- (ii) यदि विरोधकर्ता सुनवाई के लिए अनुरोध करता है, तो नियंत्रक, विरोधकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद, सुनवाई की तारीख से एक माह के भीतर एक स्पष्ट आदेश पारित करेगा, जिसमें अभ्यावेदन को अस्वीकार करने या प्रथम दृष्टया स्वीकार करने के आधार को दर्ज किया जाएगा तथा आवेदक को तदनुसार सूचित किया जाएगा।"
- (ख) अभ्यावेदन में प्रथम दृष्टया मामला बनने पर, नियंत्रक अभ्यावेदन प्राप्त होने की तारीख से एक माह के भीतर अपने कारणों को दर्ज करते हुए आदेश पारित करेगा और आवेदक को तद्नुसार सूचित करेगा।
- (ख) उप-नियम (4) में, शब्द 'तीन महीने' को शब्द 'दो महीने' से प्रतिस्थापित किया जाएगा; और
- (ग) उप-नियम (5) के बाद निम्नलिखित उप नियमों को शामिल किया जाएगा, नामत: "(5क) नियम 62 के उप-नियम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया, जहां तक संभव हो सके, इस नियम के
 तहत सुनवाई की प्रक्रिया पर लागू होगी।
 (5ख) ऐसा पेटेंट आवेदन, जिसके लिए विरोध का अभ्यावेदन दायर किया गया है तथा नियम 3 के तहत
 नियंत्रक द्वारा नोटिस जारी किया गया है, उसकी नियम 24ग के अनुसार जांच की जाएगी।"
- 8. उक्त नियमों के नियम 56 में, उप-नियम (4) में 'तीन महीने' शब्द को 'दो महीने' शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- 9. उक्त नियमों के नियम 70 के बाद, निम्नलिखित नियम शामिल किया जाएगा, नामतः-
 - '70क. आविष्कारकर्ता का प्रमाणपत्र (1) नियंत्रक लागू पेटेंट के संबंध में किसी आविष्कारक को, प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट शुल्क के साथ प्रपत्र-8क में आविष्कारक द्वारा किए गए अनुरोध पर, आविष्कारकर्ता का प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा।
 - (2) नियंत्रक, किसी आविष्कारक के अनुरोध पर, प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट शुल्क के साथ प्रपत्र-8क में, प्रवृत्त पेटेंट के संबंध में आविष्कारक को आविष्कारकर्ता का प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि जारी कर सकेगा और इस अनुरोध में उन परिस्थितियों का एक विवरण होगा, जिन परिस्थितियों में आविष्कारकर्ता का मूल प्रमाण पत्र खो गया हो, नष्ट हो गया हो, क्षतिग्रस्त हो गया हो या प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
- 10. उक्त नियमों के नियम 80 में, उप-नियम (3) को निम्नलिखित उप-नियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: -
 - '(3) दो वर्ष अथवा उससे अधिक की अविध के लिए देय वार्षिक नवीकरण शुल्क का अग्रिम भुगतान किया जा सकता है; बशर्ते कि जहां कम से कम 4 वर्ष की अविध के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नवीकरण शुल्क के लिए अग्रिम

भुगतान किया गया है, वहां, ऐसे भुगतान पर शुल्क में दस प्रतिशत की कटौती लागू होगी।'

- 11. उक्त नियमों के नियम 110 में, उप-नियम (2) में,-
 - क) 'पेटेंट अधिनियम और नियम' शब्दों को 'पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39), पेटेंट नियम, 2003, डिजाइन अधिनियम, 2000 (2000 का 16) और डिजाइन नियम, 2001' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 - ख) 'पेटेंट विशेषताएं' शब्दों को 'पेटेंट विशेषताएं, डिजाइन विशेषताएं' शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- 12. उक्त नियमों के नियम 131 में, उप-नियम (2) को निम्नलिखित उप-नियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-
 - '(2) उप-नियम (1) में संदर्भित विवरण तीन वित्त वर्षों की प्रत्येक अविध के संबंध में एक बार प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत उस वित्त वर्ष के तुरंत बाद शुरू होने वाले वित्त वर्ष से होगी जिसमें पेटेंट प्रदान किया गया था, तथा ये विवरण ऐसी प्रत्येक अविध की समाप्ति के छ: माह के भीतर प्रस्तुत किए जाएंगे:
 - बशर्ते कि नियंत्रक, प्रपत्र 4 में अनुरोध किए जाने पर तीन माह तक की अवधि के लिए ऐसे विवरण को दायर करने में हुए विलंब को क्षमा कर सकता है अथवा समय को बढ़ा सकता है।'

- 13. उक्त नियमों के नियम 137 को उप नियम (1) लिखा जाएगा और उप नियम (1) को यह संख्या देने के बाद निम्नलिखित उप नियम को शामिल किया जाएगा. नामत:-
- (2) उप-नियम (1) में निहित प्रावधान निम्निलिखित से संबंधित मामलों के लिए लागू नहीं होंगे- (i) नियम 12 के उप-नियम (5) के तहत समय के विस्तार या देरी की माफी; (ii) नियम 20 का उप-नियम (4) के खंड (i) और नियम 20 का उप-नियम (6); (iii) नियम 21; (iv) नियम 24ख का उप-नियम (1), (5) और (6); (v) नियम 24ग का उप-नियम (10) और (11); (vi) नियम 55 का उपनियम (4); (vii) नियम 80 का उपनियम (1क); (viii) नियम 130 का उपनियम (1) और (2); (ix) नियम 131 का उपनियम (2)"।
- 14. उक्त नियमों के नियम 138 को निम्नलिखित नियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: -
- '138. निर्धारित समय-सीमा को बढ़ाने अथवा विलंब को माफ करने की शक्ति- इन नियमों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, प्रपत्र 4 में अनुरोध करने पर, किसी कार्य को करने अथवा इनके तहत कोई कार्यवाही करने के लिए निर्धारित समय-सीमा को नियंत्रक द्वारा 6 माह की अविध तक बढ़ाया जा सकता है अथवा विलंब को माफ किया जा सकता है जहां ऐसा अनुरोध छ: माह की उक्त अविध समाप्त होने से पूर्व किया गया हो। बशर्ते कि ऐसा अनुरोध छ: माह की निर्धारित अविध के भीतर एक से अधिक बार किया जा सकता है।

. 15. उक्त नियमों में पहली अनुसूची के सारणी-1 के लिए, निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी, नामत:-

सारणी-1

प्रविष्टि	जिस पर संदेय है	संबद्ध	ई-फाइलिंग	ा के लिए	वास्तविक रूप	में फाइल करने
संख्या		प्रपत्र			के वि	लेए
		संख्या	व्यक्ति (व्यक्तियों)	अन्य, अकेले	व्यक्ति	अन्य, अकेले
			अथवा स्टार्टअप	या व्यक्ति	(व्यक्तियों)	या व्यक्ति
			(अप्स) अथवा	(व्यक्तियों)	अथवा	(व्यक्तियों)
			छोटी	अथवा स्टार्ट-	स्टार्टअप	अथवा स्टार्ट-
			कंपनी/(यों)	अप (अप्स)	(अप्स) अथवा	अप (अप्स)
			अथवा शैक्षिक	अथवा छोटी	छोटी कंपनी	अथवा छोटी
			संस्थान(नों) के	कंपनी/(यों)	/(यों) अथवा शैक्षिक	कंपनी /(यों)
			लिए	अथवा शैक्षिक	_{साक्षक} संस्थान	अथवा शैक्षिक
				संस्थान	(नों) के लिए	संस्थान
				(नों) के लिए	` '	(नों) के लिए
1	2	3	4	5	6	7
			रुपए	रुपए	रुपए	रुपए
1.	अनंतिम या पूर्ण विशिष्टताओं के साथ धारा	1	1600	8000	1750	8800
	7, 54* और 135 और नियम 20(1) के		प्रत्येक अलग	प्रत्येक अलग	प्रत्येक अलग	प्रत्येक अलग
	अधीन किसी पेटेंट के लिए आवेदन पर -		वरीयता के लिए	वरीयता के	वरीयता के	वरीयता के
			1600 के गुणज में	लिए 8000 के	लिए 1750 के	लिए 8800 के
				गुणज में	गुणज में	गुणज में
	(i) 30 के अतिरिक्त प्रत्येक विवरण पन्ने के		(i) 160	(i) 800	(i) 180	(i) 880
	लिए, नियम (9) के उप नियम (3) के					
	अधीन न्यूक्लियोटाइड और/या अमीनो					
	अम्ल के अनुसूची क्रम को छोड़कर;					
	(ii) 10 के अतिरिक्त प्रत्येक दावे के लिए;		(ii) 320	(ii) 1600	(ii) 350	(ii) 1750
	(iii) नियम (9) के उप नियम (3) के अधीन		(iii) 160	(iii) 800	अनुमत नहीं	अनुमत नहीं
	न्यूक्लियोटाइड और/या अमीनो अम्ल के		अधिकतम	अधिकतम		
	अनुसूची क्रम के प्रत्येक पृष्ठ के लिए।		24000 के	120000 के		
	* धारा 54 के तहत पेटेंट के लिए किया गया		अध्यधीन	अध्यधीन		
	आवेदन अन्य आवेदनों की तुलना में शुल्क में					

	50 प्रतिशत की कमी हेतु पात्र होगा।					
2.	अनंतिम विवरण के पश्चात् सम्पूर्ण विवरण फाइल करने पर 30 पृष्ठ तक जिसमें 10 दावे तक हों -	2	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं
	(i) 30 के अतिरिक्त प्रत्येक विवरण पन्ने के		(i) 160	(i) 800	(i) 180	(i) 880
	लिए, नियम (9) के उप-नियम (3) के					
	अधीन न्यूक्लियोटाइड और/या अमीनो					
	अम्ल के अनुसूची क्रम को छोड़कर;					
	(ii) 10 के अतिरिक्त प्रत्येक दावे के लिए।		(ii) 320	(ii) 1600	(ii) 350	(ii) 1800
	(iii) नियम (9) के उप-नियम (3) के अधीन		(iii) 160	(iii) 800	अनुमति नहीं	अनुमति नहीं
	न्यूक्लियोटाइड और, या अमीनो अम्ल के		अधिकतम	अधिकतम		
	अनुसूची क्रम के प्रत्येक पृष्ठ के लिए ।		24000 के अध्यधीन	120000 के अध्यधीन		
	नोट: धारा 54 के तहत पेटेंट के लिए किए		अध्यधान	अध्यधान		
	गए आवेदन से संबंधित कोई विशिष्टि अन्य विशिष्टियों की तुलना में शुल्क में 50					
	प्रतिशत की कमी हेतु पात्र होगी।					
3.	धारा 8 के अधीन कथन और वचनबद्धता	3	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं
	दायर करने पर।					
4.	i) धारा 53(2) और 142(4), नियम	4	480	2400	530	2600
	13(6), 80(1क) और 130 (प्रतिमाह) के					
	अन्तर्गत समय विस्तार हेतु अनुरोध।					
	ii) नियम 12 के उप-नियम (4) या उप-	4	2000	10000	2200	11000
	नियम (2) या नियम 131 के तहत समय के					
	विस्तार या देरी की माफी (प्रति माह) के अनुरोध पर।					
	iii) नियम 24 ख के उप-नियम (6) के	4	1000	1000	1100	4400
	अधीन समय विस्तार के अनुरोध पर (प्रति					
	माह)					
	iv) नियम 24 ग के उप-नियम (11) के		2000	10000	2200	11000
	अधीन समय विस्तार के अनुरोध पर (प्रति					
	माह) v) नियम 138 के अधीन समय विस्तार के	4	10000	50000	11000	55000
	v) नियम 138 के अधान समय विस्तार के अनुरोध पर (प्रति माह)	4	10000	50000	11000	55000
5.	नियम 13 के उप-नियम (6) के अधीन	5	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं
O.	आविष्कारवृत्ति के अनुसार घोषणा दायर	Ū				
	करने पर।					
6.	अगली तारीख के लिए आवेदन पर।	-	800	4000	880	4400
7.	धारा 19(2) के अधीन संदर्भ के लोप हेतु आवेदन पर।	-	800	4000	880	4400
	रकतरकतरकतरतकरत					
	कतकतक					
8.	(i) धारा 20(1) के अधीन दावे पर;	6	800	4000	880	4400
	(ii) धारा 20(4) या 20(5) के अधीन निदेश	6	800	4000	880	4400
	के लिए अनुरोध पर।					
9.	(i) धारा 25 (2) के तहत पेटेंट प्रदान करने	7	8000	40000	अनुमति नहीं	अनुमति नहीं
	पर विरोध की सूचना पर					

			1	T	1	1
	(ii) धारा 25 (1) के तहत पेटेंट प्रदान करने पर विरोध के प्रस्तुतीकरण पर	7 क	4000	20000	अनुमति नहीं	अनुमति नहीं
10.	नियम 62 (2) के अधीन यह नोटिस देने पर कि नियंत्रक के समक्ष सुनवाई में उपस्थित	-	1500	7500	1700	8300
11.	रहा जाएगा।	8	कोई शुल्क नहीं	कोई शल्क नहीं	कोई शल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं
11.	धारा 28(2), के अधीन आवेदन पर। धारा 28(3) या धारा 28(7) के अधीन	8				
	आवेदन पर।		800	4000	880	4400
12.	नियम 70क के तहत आविष्कारक का प्रमाण पत्र।	8क	900	लागू नहीं	1000	लागू नहीं
13.	धारा 11क(2) और नियम 24क के अधीन प्रकाशन हेतु अनुरोध।	9	2500	12500	2750	13750
14.	धारा 44 के अधीन पेटेंट के संशोधन के लिए आवेदन पर।	10	2400	12000	2650	13200
15.	धारा 51(1) या 51(2) के अधीन निदेश के लिए आवदेन पर।	11	2400	12000	2650	13200
16.	धारा 26(1) और 52(2) के अधीन पेटेंट प्रदान करने के लिए अनुरोध पर।	12	2400	12000	2650	13200
17.	धारा 55(1) के अधीन पेटेंट के परिवर्धन को एक स्वतंत्र पेटेंट में बदलने करने के अनुरोध पर।	-	2400	12000	2650	13200
18.	धारा 53 के अधीन पेटेंट के नवीनीकरण के लिए -					
(i)	पेटेंट की तारीख से दूसरे वर्ष की समाप्ति से पूर्व तीसरे वर्ष के संबंध में;	-	800	4000	880	4400
(ii)	तीसरे वर्ष की समाप्ति से पूर्व चौथे वर्ष के संबंध में;	-	800	4000	880	4400
(iii)	चौथे वर्ष की समाप्ति से पूर्व पांचवे वर्ष के संबंध में;	-	800	4000	880	4400
(iv)	पांचवे वर्ष की समाप्ति से पूर्व छठे वर्ष के संबंध में;	-	800	4000	880	4400
(v)	छठे वर्ष की समाप्ति से पूर्व सातवें वर्ष के संबंध में;	-	2400	12000	2650	13200
(vi)	सातवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व आठवें वर्ष के संबंध में;	-	2400	12000	2650	13200
(vii)	आठवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व नवें वर्ष के संबंध में;	-	2400	12000	2650	13200
(viii)	नवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व दसवें वर्ष के संबंध में;	-	2400	12000	2650	13200
(ix)	दसवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व ग्यारहवें वर्ष के संबंध में;	-	4800	24000	5300	26400
(x)	ग्यारहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व बारहवें वर्ष के संबंध में;	-	4800	24000	5300	26400
(xi)	बारहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व तेरहवें वर्ष के संबंध में;	-	4800	24000	5300	26400
(xii)	तेरहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व चौदहवें वर्ष के संबंध में;	-	4800	24000	5300	26400

,						
(xiii)	चौदहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व पन्द्रहवें वर्ष के संबंध में;	-	4800	24000	5300	26400
(xiv)	पन्द्रहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व सोलहवें वर्ष के संबंध में;	-	8000	40000	8800	44000
(xv)	सोलहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व सत्रहवें वर्ष के संबंध में;	-	8000	40000	8800	44000
(xvi)	सत्रहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व अठारहवें वर्ष के संबंध में;	-	8000	40000	8800	44000
(xvii)	अठारहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व उन्नीसवें वर्ष के संबंध में;	-	8000	40000	8800	44000
(xviii)	उन्नीसवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व बीसवें वर्ष के संबंध में।		8000	40000	8800	44000
19.	धारा 57 के अधीन पेटेंट के लिए आवेदन या सम्पूर्ण विनिर्देश या अन्य संबद्ध दस्तावेजों के संशोधन के लिए आवेदन पर -	13				
(i)	पेटेंट प्रदान करने से पूर्व;		800	4000	880	4400
(ii)	पेटेंट प्रदान करने के पश्चात्;		1600	8000	1750	8800
(iii)	जहाँ नाम या पता या राष्ट्रीयता या सेवार्थ पते में संशोधन होना है।		320	1600	350	1750
20.	धारा 57(4), 61(1) और 87(2) के अधीन किसी आवेदन के विरोध की सूचना या धारा 63(3) के अधीन पेटेंट के अभ्यर्पण या धारा 78(5) के अधीन अनुरोध पर।	14	2400	12000	2650	13200
21.	धारा 60 के अधीन पेटेंट के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन पर।	15	2400	12000	2650	13200
22.	धारा 61(3) और नियम 86(1) के अधीन प्रत्यावर्तन के लिए अतिरिक्त शुल्क।	_	4800	24000	5300	26400
23.	धारा 63 के अधीन पेटेंट के अभ्यर्पण की प्रस्थापना की नोटिस पर।	_	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं
24.	धारा 69(1) या 69(2) और नियम 90(1) या 90 (2) के अधीन किसी व्यक्ति के किसी पेटेंट या उसके अंश के हकदार या बन्धकदार के रूप में या किसी व्यक्ति के लाइसेंसधारी के रूप में या अन्यथा के रूप में पेटेंट रजिस्टर में नाम की प्रविष्टि के लिए या किसी दस्तावेज़ की अधिसूचना की पेटेंट रजिस्टर में प्रविष्टि के लिए आवेदन पर।	16	1600 (प्रत्येक पेटेंट के संबंध में)	8,000 (प्रत्येक पेटेंट के संबंध में)	1750 (प्रत्येक पेटेंट के संबंध में)	8,800 (प्रत्येक पेटेंट के संबंध में)
25.	नियम 94 (1) या नियम 118 (1) के अधीन पेटेंट रजिस्टर या पेटेंट अभिकर्ता रजिस्टर में किसी प्रविष्टि के परिवर्तन के लिए आवदेन पर।	_	320	1600	350	1750
26.	नियम 94(3) के अधीन पेटेंट रजिस्टर में अतिरिक्त सेवार्थ पते की प्रविष्टि करने के लिए अनुरोध पर।	_	800	4000	880	4400
27.	धारा 84 (1), 91 (1), 92(1) और धारा 92क के अधीन अनिवार्य लाइसेंस के लिए आवेदन पर।	17	2400	12000	2650	13200
28.	पेटेंट के लिए आवदेन के परीक्षण हेतु अनुरोध पर -	18				
L	1		I	1	1	l .

	(i) धारा 11ख और नियम 24 (1) के अधीन;		4000	20000	4400	22000
	(ii) नियम 20(4)(ii) के अधीन।		5600	28000	6150	30800
29.	नियम 24ग के अधीन पेटेंट के आवेदन के त्वरित परीक्षण के अनुरोध पर।	18 क	8000	60000	अनुमति नहीं	अनुमति नहीं
30.	नियम 24 ख के अधीन परीक्षण के लिए दायर अनुरोध को नियम 24 ग के अधीन शीघ्र परीक्षण के अनुरोध में परिवर्तित करने पर।	18 क	4000	40000	अनुमति नहीं	अनुमति नहीं
31.	धारा 85 (1) के अधीन पेटेंट को रद्द करने के लिए आवेदन पर।	19	2400	12000	2650	13200
32.	धारा 88(4) के अधीन लाइसेंस के निबंधनों और शर्तों के पुनरीक्षण के लिए आवेदन पर।	20	2400	12000	2650	13200
33.	धारा 94 के अधीन अनिवार्य लाइसेंस की समाप्ति के लिए अनुरोध पर।	21	2400	12000	2650	13200
34.	नियम 109 (1) या नियम 112 के अधीन पेटेंट अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर।	22	3200	लागू नहीं	3500	लागू नहीं
35.	नियम 109 (3) के अधीन अर्हक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनुरोध पर।	_	1600	लागू नहीं	1750	लागू नहीं
36.	पेटेंट अभिकर्ता रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम के बने रहने के लिए —					
	(i) पहले वर्ष के लिए रजिस्ट्रीकरण के साथ संदत्त की जाने वाली;	_	800	लागू नहीं	880	लागू नहीं
	(ii) पहले वर्ष को छोड़कर प्रत्येक वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल को संदत्त की जाने वाली।	_	800	लागू नहीं	880	लागू नहीं
37.	नियम 111क के अधीन पेटेंट अभिकर्ता के प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति के लिए।		1600	लागू नहीं	1750	लागू नहीं
38.	नियम 117 (1) के अधीन पेटेंट अभिकर्ता रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम के प्रत्यावर्तन के लिए आवदेन पर।	23	1600 (प्रविष्टि संख्या 36 के अधीन जारी रखने की शुल्क के अलावा	लागू नहीं	1750 (प्रविष्टि संख्या 36 के अधीन जारी रखने की शुल्क के अलावा	लागू नहीं
39.	धारा 78(2) के अधीन लिपिकीय त्रुटियों की शुद्धि के लिए अनुरोध पर।		800	4000	880	4400
40.	धारा 77(1)(च) या 77(1) (छ) के अधीन नियंत्रक के निर्णय या आदेश की समीक्षा या लंबित रखने के लिए आवदेन पर।	24	1600	8000	1750	8800
41.	धारा 39 और नियम 71(1) के अधीन भारत से बाहर पेटेंट के आवदेन के लिए अनुमति हेतु आवदेन पर।	25	1600	8000	1750	8800
42.	धारा 154 और नियम 132 के अधीन डुप्लिकेट पेटेंट के लिए आवदेन पर।		1600	8000	1750	8800

43.	(i) धारा 72 के अधीन प्रमाणित प्रतियों के लिए या		1000	5000	1100	5500
	धारा 147 और नियम 133 (1) के अधीन		(30 पृष्ठ तक और उसवे		(30 ਧੂਬ	(30 ਧੂਬ
	प्रमाण-पत्र के लिए अनुरोध पर।		पश्चात् प्रत्येक	तक और	तक और	तक और
			अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	उसके पश्चात्	उसके पश्चात्	उसके पश्चात्
			30)	प्रत्येक	प्रत्येक [े]	प्रत्येक [े]
				अतिरिक्त पृष्ठ के	अतिरिक्त पृष्ठ के लिए	अतिरिक्त पृष्ठ के लिए
				पृष्ठ क लिए	्रवृष्ठ क ।लए 30)	પૃષ્ઠ જ (
				150)		,
	(ii) धारा 72 के अधीन प्रमाणित प्रतियों के अनुरोध		2400	12000	3300	13200
	पर या धारा 147 और नियम 133(2) के अधीन		(30 पृष्ठ तक और उसवे		(30 ਧੂਬ	(30 ਧੂਬ
	प्रमाण पत्र के लिए।		पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए	तक और उसके	तक और उसके	तक और उसके
			30)	पश्चात्	पश्चात्	पश्चात्
				प्रत्येक अतिरिक्त	प्रत्येक अतिरिक्त	प्रत्येक अतिरिक्त
				पासारक पृष्ठ के	पृष्ठ के लिए	पृष्ठ के लिए
				लिए 30)	30)	30)
44.	प्रत्येक मुद्रित, कार्यालय प्रतियों के प्रमाणन के लिए।	1	800	4000	880	4400
45.	धारा 72 के अधीन रजिस्टर के निरीक्षण, नियम	_	320	1600	350	1750
	27 या नियम 74क के अधीन निरीक्षण के लिए अनुरोध पर।					
46.	धारा 153 और नियम 134 के अधीन सूचना हेतु अनुरोध पर।	_	480	2400	530	2650
47.	पेटेंट अभिकर्ता के प्राधिकार के प्रपत्र पर।	26	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं
48.	ऐसी याचिका पर जो अन्यथा उपलब्ध नहीं है।		1600	8000	1750	8800
49.	दस्तावेजों की फोटो प्रतियां उपलब्ध कराने के लिए प्रति पृष्ठ।	_	10	10	10	10
50.	अंतर्राष्ट्रीय आवदेन के लिए पारेषण शुल्क।	_	3200	16000	3500	17600
51.	अंतर्राष्ट्रीय आवेदन के लिए पारेषण शुल्क (ई- पीसीटी दायर करने के लिए)।	_	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
52.	वरीयता दस्तावेज़ की प्रामाणिक प्रति तैयार करने और उसे विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन के	_	1000	5000	1100	5500
	आर उस ।वश्व बाद्धिक सम्पदा संगठन क अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो को पारेषित करने के लिए।		(30 पृष्ठ तक और	(30 पृष्ठ तक	(30 ਧੂਬ	(30 पृष्ठ तक
			उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ	और उसके पश्चात्	तक और उसके	और उसके पश्चात्
			के लिए 30)	प्रत्येक [े]	पश्चात्	प्रत्येक [े]
			,	अतिरिक्त	प्रत्येक अस्ति	अतिरिक्त
				पृष्ठ के लिए 150)	अतिरिक्त पृष्ठ के लिए	पृष्ठ के लिए 150)
				130)	30)	130)
53.	वरीयता दस्तावेज़ की प्रामाणिक प्रति तैयार करने और डब्ल्यूआईपीओ डीएएस के माध्यम से ई-	_	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क चनीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	पारेषण के लिए।			नहीं		
54.	धारा 146(2) और नियम 131(1) के अधीन	27	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क	कोई शुल्क	कोई शुल्क
	भारत में पेटेंट प्राप्त आविष्कार के वाणिज्यिक स्तर पर कार्यकरण से संबंधित विवरण पर।			नहीं	नहीं	नहीं
	पर कायकरण स सबाधत ।ववरण परा					

55.	छोटी कंपनी, स्टार्टअप अथवा पात्र शैक्षणिक संस्थान होने का दावा करने के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे	28	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं
56.	धारा 11ख (4) और नियम 7 (4क) और 26 के अधीन आवेदन वापस लेने हेतु अनुरोध	29	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं
57.	नियम 129क के अधीन सुनवाई के स्थगन के लिए अनुरोध (प्रत्येक स्थगन के लिए)।	ı	1000	5000	1100	5500
58.	नियम 8(2) के अधीन विविध प्रपत्र, जब अन्य कोई प्रपत्र निर्धारित न किया गया हो तब प्रयोग करने के लिए।	30	यथा लागू			
59.	रियायत अवधि	31	500	2500	550	2750"

16.	उक्त	नियमों	में.	दसरी	अनुसूची	में.	प्रारूपों	की	सची	में
	9 1 11		٠,	2	-1,4,2,11	٠,			7 ''	٠,

(i) "प्रपत्र-4" के अनुरूप प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

		,
"4.	धारा 53(2) और 142(4), नियम 12(5), 13(6), 24ख(6),	समय बढ़ाने या देरी के लिए क्षमा के लिए
	24ग(11), 80(1क), 130 और 138.	अनुरोध।

(ii) "प्रपत्र-8" के अनुरूप प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

	9	- 1
"8क.	नियम 70क.	इन्वेंट्री का प्रमाण पत्र।";

(iii) "प्रपत्र-30" के अनुरूप प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टि डाली जाएगी, अर्थात्: -

	•		•	
"31.	धारा 31 और नियम 2	29क		रियायत अवधि".

17. उक्त नियमों में, दूसरी अनुसूची में,-

(i) "प्रपत्र संख्या 1" के स्थान पर निम्नलिखित प्रारूप रखा जाएगा, अर्थात:-

प्रपत्र 1 पेटेंट अधिनियम 1970 (1970 पेटेंट नियम, 2003 पेटेंट के अनुदत्त के लिए आवेदन	•		(केवल काय	लिय उपयोग के लिए	í)	
(धारा 7, 54 और नियम 135 देखिए)		प्प-नियम (1)				
			आवेदन संख	या.		
			फाइल किए	जाने की तारीख:		
			संदत्त शुल्क	की राशि:		
			सीबीआर सं	ख्या:		
			हस्ताक्षर:			
1. आवेदक का संदर्भ/पहचान क्र	मांक (जो कार्यालय	द्वारा आवंटित)				
2. आवेदन का प्रकार [उचित श्रे	णी में (□) का निशान	 ा लगाएं]				
साधारण ()	कन्वेन्शन ()			पीसीटी-एनपी ()		पीपीए च ()
प्रभागीय अतिरक्त पेटेंट ()	प्रभागीय ()	अतिरक्त पेटेंट	()	प्रभागीय ()	अतिरक्त पेटेंट ()	

3 क. आवे	दक (आवेदकों का)					
पूरा नाम	लिंग (वैकल्पिक)	राष्ट्रीयता	निवास का देश	Т	आयु (प्राकृतिक व्यक्तियों के लिए वैकल्पिक)	आवेदक का पता
	- पुरुष				वर्ष	मकान नं.
	- स्त्री				 - प्रकट करना नहीं चाहते	गली
	- अन्य					शहर
	- प्रकट करना नहीं					राज्य
	चाहते					देश
						पिन कोड
						ईमेल
						(ओटीपी
						सत्यापन अनिवार्य-
						संपादित
						किया
						जाएगा)
						दूरभाष
						संख्या क ो किस
						(ओटीपी सत्यापन
						अनिवार्य-
						संपादित
						किया
						जाएगा)
3ख. आवे	दक की श्रेणी [कृपया 🤊	उचित श्रेणी में (□) टिक लगाएँ]			
प्रकृत व्यन्	प्रकृत व्यक्ति () प्रकृत व्यक्ति से भिन्न () शिक्षण संस्थान ()				शिक्षण संस्थान ()	
		छोटी कंपनी () स्ट	ार्टअप ()	अन्य ()	
4. आविष्	4. आविष्कारक(आविष्कारकों) [कृपया समुचित श्रेणी में (□) का निशान लगाएँ]					
क्या सभी	आविष्कारक (आविष्	कारकों) हाँ ()		नहीं ()	
	प्पर नामित आवेदक					
(आवेदकों)) के समान है?					
यदि "नहीं	" तो आविष्कारक (अ	॥विष्कारकों) का	ब्यौरा प्रस्तुत करें			
पूरा	लिंग (प्राकतिक	राष्ट्रीयता	आयु (वैकल्पिक,	निवास	आविष्कारक का पता	
नाम	व्यक्तियों के लिए		प्राकृतिक	का देश		
	वैकल्पिक)		व्यक्तियों के			
			लिए)			
	- पुरुष		वर्ष		मकान नं.	
	- स्त्री		- प्रकट करना - 0		गली	
	- अन्य		नही चाहते		शहर	
	- प्रकट करना नही				राज्य	
	चाहते				देश	
					पिन कोड	

5. आविष्	कार का नाम					
६ गाधित	न्य एंजीक्स गेरेंस श्रीक			भारताच	mu iiau	
6. प्राधिकृत पंजीकृत पेटेंट अभिकर्ता(ओं)			आईएन/पीए संख्या			
				नाम		
				मोबाइल नं. (ओटीपी सत्यापन अनिवार्य-		
					ा कारायायः त किया जाएगा)	
7. भारत	में आवेदक की सेवाओं	के लिए पता		नाम	. ,	
				डाक पत	Т	
				दूरभाष	नं.	
					ा नं. (ओटीपी	
					ा अनिवार्य- -	
				सशााधर फैक्स नं	त किया जाएगा)	
					गाईडी (ओटीपी	
					॥इडा (आटापा । अनिवार्य-	
					त किया जाएगा) न किया जाएगा)	
		·				न्शिन आवेदन का विवरण
देश	आवेदन संख्या	फाइल किए	आवेदक का ना	म	आविष्कार का	आईपीसी (जैसा कन्वेन्शन देश में
		जाने की तारीख			नाम	वर्गीकृत है)
		गाराज				
9 पेटेंट स	। ।इकारिता संश्रि (पे स	⊥ मं \ राष्ट्रीय चरण आ	। विदन के मामले :	में पेटेंट स	। इकारिता संधि (पे :	। स.सं.) के अधीन फाइल किए गए
	। आवेदन का विवरण	(ii) (iXi ii i (ii -ii		·1, 100 (1	<i>(</i>	many is start interior, it
अंतर्राष्ट्रीय	। आवेदन सं.			अंतर्राष्ट्री	य फाइल किए जाने	ों की तारीख
10. धारा	16 के अधीन प्रभागीय	 य आवेदन फाइल वि		मूल (प्रथ	म) आवेदन की विशि	शेष्टियां
मूल (प्रथम	म) आवेदन सं.			मूल (प्रथम) आवेदन के फाइल करने की तारीख		
11. अति	रिक्त पेटेंट फाइल किए	—————————————————————————————————————	 54 के अधीन फ	ाइल आवे		या पेटेंट की विशिष्टियां
मुख्य आवे	मुख्य आवेदन/ पेटेंट सं. मुख्य आवेदन फाइल किए जाने की तारीख					जाने की तारीख
12. घोषप	णाएं					
(i) आविष्	कारक (कों) द्वारा घोष	 णा				
(आवेदक	समनुदेशिती होने पर):	. आविष्कारक (कों) [:]	के साथ साथ नी ^न	चे हस्ताक <u>्ष</u>	र कर सकते हैं या अ	गवेदक समनुदेशन अपलोड कर सकता
है या इस	पेटेंट आवेदन के साथ स	प्तमनुदेशन संलग्न कर	र सकता है, या स	मनुदेशन	को निर्धारित अवधि	े ध्रे में डाक/सम्यक रूप से अधिप्रमाणित
~	पारेषण द्वारा प्रेषित कर सकता है।					
मैं/हम उपरोक्त नामित आविष्कारक(कों) इस आविष्कार के लिए सही और प्रथम आविष्कारक(कों) हूँ/हैं और घोषणा करता हूँ/करते हैं कि						
,	आवेदक (कों) मेरा/हमारा समनुदेशिती या विधिक प्रतिनिधि हा/हैं।					
(क) दिनां	क					
(ख) हस्ता	ा क्षर					
(ग) नाम						

(ii) कन्वेन्शन देश में आवेदक(कों) द्वारा घोषणा

(कन्वेन्शन देश का आवेदक भारत के आवेदक से भिन्न होने पर: कन्वेन्शन देश का आवेदक साथ साथ नीचे हस्ताक्षर कर सकता है या भारत में आवेदक कन्वेन्शन देश के आवेदक के समनुदेशन को अपलोड कर सकता है या इस पेटेंट आवेदन के साथ समनुदेशन संलग्न कर सकता है या समनुदेशन को निर्धारित अवधि में डाक/सम्यक रूप से अधिप्रमाणित पारेषण द्वारा प्रेषित कर सकता है।

मैं/हम, कन्वेन्शन देश में आवेदक (कों) के रूप में घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि इसके आवेदक मेरे/हमारे सुमनुदेशिती है।

- (क) तारीख
- (ख) हस्ताक्षर
- **(**ग) नाम

(iii) आवेदक (कों) द्वारा घोषणा

मैं/हम आवेदक (कों) घोषणा करता हूँ/करते हैं कि: -

- ऊपर वर्णित आविष्कार मेरे/हमारे कब्जे में हैं।
- आविष्कार से संबिन्धत अनंतिम/पूर्ण विनिर्देश इस आवेदन के साथ फाइल किया गया है।
- विनिर्देश में प्रकट किए गए आविष्कार में भारत से जैविक सामाग्री का उपयोग किया जाता है और मैं/हम, मुझे/हमें पेटेंट अनुदत्त
 किए जाने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुज्ञा प्रस्तुत करूंगा/करेंगे।
- मुझे/हमें पेटेंट अनुदत्त किए जाने के लिए आक्षेप का कोई विधिपूर्ण आधार नहीं है।
- मैं/हम सही और प्रथम आविष्कारक हूँ/हैं।
- मैं/हम सही और प्रथम आविष्कारक (कों) के समनुदेशिती या विधिक प्रतिनिधि हूँ/हैं।
- मेरे/हमारे आविष्कार की बाबत आवेदन या आवेदनों में से प्रत्येक जिनका विशिष्टियां पैरा 8 में दिया गया है, कन्वेंशन देश/देशों में पहला आवेदन था।
- मैं/हम कन्वेंशन देश/देशों में फाइल किए गए ऊपर उल्लिखित आवेदन (नों) से पूर्विक्ता का दावा करता हूँ/करते हैं और कथन करता हूँ/ करते हैं कि आविष्कार की बाबत संरक्षण के लिए कोई आवेदन कन्वेंशन देश में उस तारीख से पहले मेरे/हमारे द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिससे मैं/हम हक व्युत्पन्न करता हूँ/करते हैं, नहीं किया गया है।
- मेरा/हमारा भारत में आवेदन पैरा 09 में यथा उल्लिखित पेटेंट सहकारिता संधि (पे.स.सं।) के अधीन अंतर्राष्ट्रीय आवेदन पर आधारित है।
- उक्त आविष्कार, उस आविष्कार का सुधार या उपांतरण है जिसका विवरण पैरा 11 में दिया गया है।

13. आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्नक हैं

(क) प्रपत्र 2

मद	विवरण	शुल्क	टिप्पणियां
पूर्ण/अनंतिम विनिर्देश #	पृष्ठों की संख्या		
दावा(दावे) की संख्या	दावों की संख्या और पृष्ठों		
	की संख्या		
सार	पृष्ठों की संख्या		
आरेखण (ओं) की संख्या	आरेखण की संख्या और पृष्ठों		
	की संख्या		

पूर्ण विनिर्देश मे, यदि आवेदक अनंतिम विनिर्देश के साथ फाइल आरेखनों को नियम 13(4) के अधीन पूर्ण विनिर्देश के आरेखन या आरेखनों के भाग के रूप में अपनाना चाहता है, अनंतिम विनिर्देश के ऐसे पृष्ठों के क्रमांक का अंततिम विर्देशों के साथ उल्लेख करना अपेक्षित है।

- (ख) पूर्ण विनिर्देश (अंतर्राष्ट्रीय आवेदन के अनुरूप) / अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकरण (अ.प्रा.प.प्रा.) के पूर्व यथा संशोधित, यथा लागू (दो प्रतियां)
- (ग) इलेक्ट्रोनिक प्रारूप रूप में अनुक्रम सूची
- (घ) आरेखण (अंतर्राष्ट्रीय आवेदन के अनुरूप)/ अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकरण (अ.प्रा.प.प्रा.) के पूर्व यथा संशोधित, यथा लागू (दो प्रतियां)

(ड.) प्राथमिकता दस्तावेज अथवा आवेदक द्वारा डीएएस (डिजिटल एक्सेस सर्विस) में मौजूदा प्राथमिकता दस्तावेज (दस्तावेजों) प्राप्त करने के लिए फाइलिंग के प्रथम कार्यालय को पहले ही अनुरोध किए जाने की स्थिति में डीएएस से प्राथमिकता दस्तावेज पुन: प्राप्त करने का अनुरोध
(च) प्राथमिकता दस्तावेज/विनिर्देश/अंतर्राष्ट्रीय जांच रिपोर्ट/ पेटेंट योग्यता पर अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक रिपोर्ट का अनुवाद।
(छ) प्रपत्र 3 में विवरण और वचनबंध
(ज) प्रपत्र 5 में आविष्कार किए जाने की घोषणा
(झ) प्राधिकारी की शक्ति
(ञ)
कुल शुल्करुपए नकद/बेंकर चैक/ बैंक ड्राफ्ट सं॰ द्वारातारीखवैंक
मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इसमे कथित तथ्य और सामग्री मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं और मैं/हम अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि उक्त आविष्कार के लिए मुझे/हमें पेटेंट अनुदत्त किया जाये।
आज तारीख20 हस्ताक्षर: नाम:
सेवा में,
पेटेंट नियंत्रक
पेटेंट कार्यालय
पता टिप्पण: -
*एक से अधिक प्रविष्टि की दशा में बाक्सों को दोहराएं।
*आवेदक (कों) या प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत अभिकर्ता द्वार अन्यथा जहां उल्लिखित हो, हस्ताक्षर किया जाये।
*पैरा 12 की घोषणा में जो लागू हो/नहीं लागू हो उस पर सही (□//क्रास (x) का निशान लगाएं।
*अविष्कारक और आवेदक का पूरा, उप-नाम शुरूआत में दें
*उस/उन भाग/भागों को काट दें जो लागू नहीं होता है/होते हैं।
*शुल्क के लिए पहली अनुसूची देखिए।";
(ii) "प्रपत्र संख्या 3" के स्थान पर निम्नलिखित प्रपत्र रखा जाएगा, अर्थात:-
प्रपत्र 3
पेटेंट अधिनियम, 1970

	प्रपत्र 3					
पेटेंट अधिनियम, 1970						
	(1970 का 39)					
	और					
	पेटेंट नियम, 2003					
	धारा 8 के अधीन कथन और वचनबंध					
	(नियम 12 का उप नियम (2) और (3) देखें)					
1. आवेदक (कों) का नाम	मैं/हम					
	एतदद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं:					
2. संयुक्त आवेदक का नाम,	(i) कि मैंने/हमने भारत में अकेले/संयुक्त रूप से के साथ दिनांक, को पेटेंट संख्याके					
पता और राष्ट्रीयता	लिए आवेदन किया है,					

		(ii) यह कि मैंने/ हमने उसी आविष्कार/मूलतः उसी आविष्कार के लिए भारत से बाहर आवेदन नहीं किया है या (iii) कि मैंने/हमने अन्य देशों में उसी/तात्विक रूप से समान आविष्कार हेतु पेटेंट के लिए आवेदन किया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :					
देश का नाम	आवेदन र्क तारीख	Ì	आवेदन सं॰	आवेदन कि स्थिति	प्रकाशन की तारीख	निपटान की तारीख	
2 > 2		<i>ω</i> Δ .	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-(- <i>j</i> ;) <i>j</i> ;C			
3. समनुदेशिती का पता	नाम और		भारत में दायर आवेदन या है/ हैं।	(नो) में अधिकार		को संनुदेशिक	
		किया गया है/ हैं। (iii) कि मैं / हम नियंत्रक द्वारा पेटेंट अनुदान करने की तारीख तक, मैं / हम नियंत्रक को लिखित रूप में					
		भारत के बाहर पेटेंट के लिए फाइल किए गए संगत आवेदनों के विवरणों की सूचना धारा 8 और नियम 12 के प्रावधानों के अनुसार देता रहूँगा/ देते रहेंगे।					
		आज तारीख20					
4. आवेदक या उसके प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए		हस्ताक्षर					
5. उस प्रकृत व्यक्ति जिसने हस्ताक्षर कि		().			
		सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, पता					
टिप्पण- जो लागू न	न हो उसे का						
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						

(iii) "प्रपत्र संख्या 4" के स्थान पर निम्नलिखित प्रपत्र रखा जाएगा, अर्थात:-

प्रपत्र 4					
	पेटेंट अधिनियम, 1970				
	(1970 का 39)				
	और				
	पेटेंट नियम, 2003				
समय विस्तार के लिए अनुरोध अथवा विलंब के लिए क्षमा					
[धारा 53(2) और 142(4); नियम 12(5), 13(6), 24ख(6), 24ग(11), 80(1क), 130, 131(2) और 138]					
1. आवेदक का नाम	मैं/हम मेरे/हमारे आवेदन/ पेटेंट				
	सं॰ के संबंध में धारा / नियम के				
अधीनमाह के समय-विस्तारण के लिए अनुरोध करता हूँ/ करते हैं।					

	अनुरोध करने के निम्नलिखित कारण हैं:-
	आज तारीख20
2. आवेदक या उसके प्राधिकृत	हस्ताक्षर
रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा	()
हस्ताक्षरित किया जाए	
3. उस प्रकृत व्यक्ति का नाम जिसने	
हस्ताक्षर किए हैं	
	सेवा में,
	पेटेंट नियंत्रक,
	पेटेंट कार्यालय,
	पता
टिप्पण : शुल्क के लिए प्रथम अनुसूची दे	खिए";

(iv) प्रारूप 8 के ब	(iv) प्रारूप 8 के बाद, निम्नलिखित प्रपत्र रखा जाएगा, अर्थात्: -				
प्रपत्र 8ए					
	पेटेंट अधिनियम, 1970				
	(1970 का 39)				
	और				
	पेटेंट नियम, 2003				
	आविष्कार का प्रमाण पत्र				
	[नियम 70क देखें]				
1. आविष्कारक का	मैं 1, पेटेंट संख्या के संबंध में				
नाम, और पेटेंट संख्या।	आविष्कारक1, एतद्वारा पेटेंट के संबंध में 'सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेंटरशिप 'प्रदान				
	करने का अनुरोध।				
	अथवा				
	मैं				
	आविष्कारक1, एतद्वारा पेटेंट के संबंध में इन्वेंट्री के डुप्लिकेट प्रमाण पत्र के				
	अनुदान के लिए अनुरोध। उन परिस्थितियों को निर्धारित करने वाला कथन जिसमें इन्वेंट्री का मूल प्रमाण				
	पत्र खो गया था, नष्ट हो गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था या उत्पादित नहीं किया जा सकता था, इस प्रकार				
	हैं:				
2. आविष्कारक द्वारा					
हस्ताक्षरित होने के लिए	हस्ताक्षर				
और इस अनुरोध को	(नीचे दी गई जानकारी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जानी आवश्यक है)				
दाखिल करने की	्रिस्ताक्षर करने वाले आविष्कारक का नाम)				
तारीख।	आविष्कारक का आधार नंबर (भारतीय आविष्कारकों के लिए)				
	मकान नं.				
	अपार्टमेंट/स्ट्रीट				
	शहर				

	राज्य देश पिन कोड मोबाइल फ़ोन: (ओटीपी सत्यापन अनिवार्य-संशोधित किया जाएगा) ईमेल: (ओटीपी सत्यापन अनिवार्य-संशोधित किया जाएगा) आज तारीख20
	सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, पता
नोट यह प्रमाण पत्र, कि	सी भी तरह से, पेटेंट के तहत किसी भी अधिकार को प्रदान या कम नहीं करता है।

(v) "प्रपत्र संख्या 27 के स्थान पर निम्नलिखित प्रारूप रखा जाएगा, अर्थात:-

"प्रपत्र 27 पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) और पेटेंट नियम, 2003

कोई शुल्क नहीं

भारत में वाणिज्यिक स्तर पर पेटेंट किए गए आविष्कार(रों) के कार्यकरण से संबंधित विवरण [धारा 146(2) और नियम 131 (1) देखें]

1. नाम, पता, राष्ट्रीयता और पेटेंट	मैं/हम,पेटेंटधारक/लाइसेंसधारकपेटेंट सं.
संख्या (संख्याएं) भरें	के सन्दर्भ में विवरण प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं,
	(स्पष्टीकरण: कई पेटेंटों के लिए एक प्रपत्र दायर किया जा सकता है, बशर्ते कि वे सभी पेटेंट से
	संबंधित हों और एक ही पेटेंट धारक (कों) को प्रदान किए गए हों)।
2. वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें	वित्तीय वर्ष से संबंधित
जिससे विवरण संबंधित है	
3. कार्य किया/ नहीं किया।	पेटेंट संख्या कार्य किया [यदि लागू हो तो (✔) का निशान लगाएं] कार्य नहीं किया
	[यदि लागू हो तो (✔) का निशान लगाएं]
कृपया बताएं कि प्रत्येक पेटेंट,	
जिसके लिए यह प्रपत्र दायर किया	
जा रहा है, ने कार्य किया या नहीं	
किया।	 ऊपर दिए गए तथ्य और मामले मेरे ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं।
	आज तारीखमाह 20

4. यदि कार्य नहीं किया गया है,	•	पेटेंट, आविष्कार विकास/वाणिज्यिक परीक्षण के अधीन है
तो कृपया उचित कारणों को	•	पेटेंट प्राप्त आविष्कार का विनियामक प्राधिकारियों के साथ समीक्षा/अनुमोदन किया जा रहा
चिन्हित करें		है
	•	वाणिज्यिक लाइसेंसिंग का विकल्प है

	,
	 कोई अन्य, निर्दिष्ट करें।
5. क्या पेटेंट लाइसेंस के लिए	■ हाँ
उपलब्ध है	■ नहीं
	हाँ की स्थिति में, क्या लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति से संपर्क करने में आपको रुचि
	हैं। यदि हां, तो कृपया नीचे संपर्क विवरण प्रदान करें:
	ईमेल पता:
	संपर्क नंबर:
	ऊपर बताए गए तथ्य और मामले मेरे ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं।
	दिनांक दिन 20
पेटेंटधारक(धारकों)/	हस्ताक्षर
लाइसेंसधारक/ विवरण	
प्रस्तुत करने वाले प्राधिकृत	सेवा में,
एजेंट द्वारा हस्ताक्षर करने के	पेटेंट नियंत्रक,
लिए	
	पेटेंट कार्यालय,

- टिप्पण: 1. प्रत्येक पेटेंटधारी और प्रत्येक लाइसेंसधारी (विशेष या अन्यथा) को यह प्ररूप दायर करना आवश्यक है; जहां पेटेंट दो या दो से अधिक व्यक्तियों को दिया जाता है, यह प्ररूप ऐसे सभी या किसी एक व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से दाखिल किया जा सकता है।
 - 2. पेटेंट अधिनियम, 1970 के तहत निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, एक पेटेंट आविष्कार को केवल इस आधार पर 'कार्य नहीं किया गया' नहीं माना जाएगा कि पेटेंट उत्पाद भारत में आयात किया गया है।
- (vi) प्रपत्र 30 के बाद, निम्नलिखित प्रपत्र को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

" प्रपत्र **31** पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) और पेटेंट नियम, 2003 **रियायत अवधि**

[धारा 31 और नियम 29क देखें]

1. नाम, पता, राष्ट्रीयता और आवेदन संख्या।	मैंहम/, आवेदकके संबंध में, एतदद्वारा धारा के तहत प्रदान की गई छूट अवधि के लाभ का दावा करते हैं। 31
2. लागू प्रावधान	 धारा 31(क) धारा 31(ख) धारा 31(ग) धारा 31(घ)
3. साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज। नोट: साक्ष्य के रूप में एक एफीडेविट को भी शामिल किया सकता है।	(i) धारा 31(क) निम्नलिखित के संदर्भ में:

	अधिसूचना द्वारा बढ़ाया गया है;
	निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं:
(ii) धारा 31(ख)	निम्नलिखित के संदर्भ में:
(11) (11(13)(4)	क) प्रकाशन या उपयोग में आने की सबसे पहली तारीख;
	ख) उपर्युक्त धारा 31 (क) के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य; और
	ग) जैसा कि धारा 31 (ख) में उल्लिखित है इस आशय के दस्तावेजी साक्ष्य
	कि इन्वेन्शन के किसी भी विवरण का प्रकाशन इन्वेन्शन के डिस्प्ले या
	उपयोग के परिणामस्वरूप हुआ;
	विम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं:
	ानप्राताखत परतायणा ताप्य प्रस्तुत मिलू गए ह.
(iii) धारा 31 (ग)	निम्नलिखित के संदर्भ में:
	क) उपयोग में आने की पहली तारीख;
	ख) जैसाकि ऊपर उल्लिखित है; धारा 31 (क) या धारा 31(ख) के संबंध में
	दस्तावेजी साक्ष्य; और
	ग) धारा 31 (ग) में उल्लिखित इन्वेन्शन के उपयोग के संबंध में दस्तावेजी
	साक्ष्य; और
	घ) दस्तावेजी साक्ष्य या एफिडेविट कि इन्वेन्शन का उपयोग वास्तविक और
	पहले इनवेंटर या उससे टाइटल प्राप्त करने वाले व्यक्ति की सहमति के बिना
	हुआ;
	निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं:
(iv) धारा 31 (घ)	निम्नलिखित के संदर्भ में:
	क) विवरण या प्रकाशन की सबसे पहली तिथि;
	ख) एक विद्वत समाज के समक्ष वास्तविक और पहले इनवेंटर द्वारा पढ़े गए
	एक पेपर में इनवेंटर का विवरण;
	ग) वास्तविक और पहले इनवेंटर द्वारा प्रकाशित इन्वेन्शन का विवरण या
	एक विद्वत समाज के लिए लेनदेन में उसका उपयोग करने में उसकी सहमति
	के साथ;
	निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं:

4. वचनबद्धता	यह कि मेरा इन्वेन्शन दिन/महीने/वर्ष से सार्वजनिक डोमेन में था और यह आवेदन उस तारीख से 12
	महीने के बाद नहीं किया गया है (जैसा कि ऊपर बताया गया है धारा 31 (क), 31 (ख), 31 (ग), या 31
	(घ) के संबंध में)
	ऊपर बताए गए तथ्य और मामले मेरे ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं।
	दिनांक20 दिन
5. आवेदक/प्राधिकृत	हस्ताक्षर
एजेंट द्वारा	
हस्ताक्षरित किया	सेवा में,
जाना चाहिए।	। पेटेंट नियंत्रक,
नोट: शपथ पत्र, यदि कोई	
है तो आवेदनकर्ता द्वारा	पेटेंट कार्यालय,
हस्ताक्षरित होना चाहिए।	
नोट: लागू विकल्प का चयन	करें।"

18. उक्त नियमों में चौथी अनुसूची को निम्निलिखित अनुसूची से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:

"चौथी अनुसूची (नियम 136(1) का परन्तुक देखें)

प्रविष्टि सं.	ऐसे विषय जिनकी बाबत लगाई जाती है।	राशि (रुपये में)	
AIMIC VI.	्रा अपन्य विषय विषय रागाइ जाता हा	पात (रुपय म) प्राकृतिक व्यक्ति (व्यक्तियों) या स्टार्टअप (स्टार्टअपों) या छोटे इकाई / (इकाईयों) या शैक्षणिक संस्थान (संस्थानों)	अन्य (अन्यों), अकेले या प्राकृतिक व्यक्ति (व्यक्तियों) या स्टार्टअप (स्टार्टअप) या छोटी इकाई / (इकाईयों) या शैक्षणिक संस्थान (संस्थानों) के साथ
1.	धारा 25, 57, 60, 63, 78, 87(2) या 88(4) के अधीन आक्षेप की सूचना के लिए	2400	12000
2.	धारा 84 (1), 91 (1) या 92 (1) के अधीन अनिवार्य लाइसेंस के आवेदन के लिए	1500	6000
3.	धारा 88(4) के अधीन अनुज्ञप्ति के निबंधन और शर्तों के पुनरीक्षण के संबंध में आवेदन के लिए।	2400	12000
4.	नियम 62 (2) के अधीन सुनवाई पर उपस्थित होने के आशय की सूचना के लिए	1500	6000
5.	जहां कोई पेटेंट अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति की गई है, वहां पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी के लिए स्टाम्प शुल्क या सुसंगत शपथ-पत्र के लिए स्टाम्प शुल्क	संदत्त वास्तविक राशि	संदत्त वास्तविक राशि
6.	नियम 57 के अधीन लिखित विवरणी के लिए या नियम 58 के अधीन उत्तर विवरणी या यदि सुसंगत हो, प्रत्येक शपथ-पत्र के लिए:	4000	5000
7.	यदि सुसंगत हो, ऐसे प्रत्येक दस्तावेज या प्रकाशन के लिए जो कार्यवाही में प्रस्तुत किए गए	1600	2000
8.	प्रत्येक अनावश्यक या असंगत शपथ-पत्र या उद्धरण के लिए:	1600	2000

9.	नियंत्रक के समक्ष प्रत्येक दिवस या अंशदिवस की सुनवाई के लिए:	4000	5000
10.	नियम 136 का उपनियम (2)	पहली अनुसूची के प्रविष्टि 1, 2, 12, 27, 28, 29, जो भी लागू हो, के संबंध में वास्तविक रूप से भुगतान की गई राशि का जोड़	पहली अनुसूची की प्रविष्टियों 1, 2, 12, 27, 28, 29 के संबंध में वास्तव में संदत्त राशियों के कुल योग का दुगुना, जैसा भी लागू हो।

19. उक्त नियमों में, 5वीं अनुसूची में, शीर्ष के लिए,

"क्र.सं. किस प्रावधान के तहत भुगतान किया गया

(पेटेंट नियम, 2003 का प्रासंगिक प्रावधान, यदि कोई हो)समझौते के तहत विनियम के संगत नियम वास्तविक व्यक्ति प्रक्तियों) के लिए। वास्तविक व्यक्ति (व्यक्तियों) से भिन्न या तो अकेले या अन्य वास्तविक व्यक्ति (व्यक्तियों) के साथ संयुक्त म में व्यक्तियों के लिए"।

निम्नलिखित को शीर्ष से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: -

"क्र.

सं. किस प्रावधान के तहत भुगतान किया गया

(पेटेंट नियम, 2003 का प्रासंगिक प्रावधान, यदि कोई हो) समझौते के तहत विनियम के संगत नियम वास्तविक व्यक्ति मक्तियों) अथवा स्टार्टअप (अप्स) अथवा छोटी कंपनी /(यों) अथवा शैक्षिक संस्थान(नों) के लिएअन्य, अकेले या अन्य वास्तविक क्ति (व्यक्तियों) के साथ अथवा स्टार्टअप (अप्स) अथवा छोटी कंपनी /(यों) अथवा शैक्षिक संस्थान(नों) के लिए"

> [फा. सं. पी-24031/14/2023-आईपीआर-III] हिमानी पांडे, संयुक्त सचिव

नोट: उक्त नियम 2 मई, 2003 के सां.आ. 493 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किए गए थे तथा अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 646 (अ) तारीख 21 सितंबर, 2021 के जरिए अंतिम बार संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department For Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2024

G.S.R. 211(E).—WHEREAS the draft of certain rules, further to amend the Patents Rules, 2003 were published, as required under sub-section (3) of section 159 of the Patents Act, 1970 (39 of 1970), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) number G.S.R. 619 (E), dated the 23st August, 2023 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected.

AND, WHEREAS, copies of the said notification were made available to the public on the 23st August, 2023;

AND, WHEREAS, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 159 of the Patents Act, 1970 (39 of 1970), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Patents Rules, 2003, namely: -

- 1. (1) These rules may be called the Patents (Amendment) Rules, 2024.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Patents Rules, 2003, hereinafter referred to as the said rules, in rule 12, -
 - (i) in sub-rule (2), for the words 'six months from the date of such filing', the words 'three months from the date of issuance of first statement of objections under sub-rule (3) of rule 24B or sub-rule (8) of rule 24C' shall be substituted;
 - (ii) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely: -
 - "3. The Controller may, use accessible and available databases, for considering the information relating to applications filed in a country outside India.
 - 4. The Controller may, under sub-section (2) of section 8, for reasons to be recorded in writing, direct the applicant to furnish a fresh statement and undertaking in Form 3 within two months from the date of such communication by the Controller.
 - 5. Notwithstanding anything contained in these rules, the Controller may condone the delay or extend the time for filing Form 3 for a period up to three months upon a request made in Form 4.".
- 3. In rule 13 after sub-rule (2) of the said rules, the following sub-rule shall be inserted, namely, -
 - "(2A) A patent applicant may, if he so desires, file one or more further applications under section 16, including in respect of an invention disclosed in the provisional or complete specification or a further application filed under section 16.".
- 4. In rule 24B of the said rules, -
 - (a) in sub-rule (1), -
 - (i) for the words 'forty-eight months', wherever they occur, the words 'thirty-one months' shall be substituted;
 - (ii) in sub-rule (1), after clause (v), the following clause shall be inserted, namely, -
 - '(vi) Notwithstanding anything contained in this sub-rule, in respect of an application filed before commencement of the Patents (Amendment) Rules, 2024, the period for making request for examination under sub-section (1) of section 11B shall be the period specified under this sub-rule before the commencement of the Patents (Amendment) Rules, 2024.';
 - (b) in sub-rule (6), for the words, brackets and figure 'specified under sub-rule (5)', the words 'specified herein' shall be substituted.
- 5. In rule 24C of the said rules, in sub-rule (11), for the words, brackets and figure 'specified under sub-rule (10)', the words 'specified herein' shall be substituted.
- 6. In the said rules, after rule 29, the following rule shall be inserted, namely, -

- "29A. Grace period. An application to avail the period specified under section 31 shall be filed in Form 31, along with the fees specified in the First Schedule.".
- 7. In the said rules, in rule 55:
 - (A) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely, -
 - "(3) On consideration of the representation if the Controller is satisfied that, -
 - (a) no *prima facie* case is made out in the representation, he shall notify the opponent accordingly, and -
 - (i) unless the opponent requests to be heard in the matter, the Controller shall, within one month from the date of such notification, pass an order recording the grounds for refusal of the representation;
 - (ii) if opponent requests for a hearing, the Controller shall, after giving the opponent an opportunity of being heard, pass an order within one month from the date of hearing, recording his reasons for refusal or *prima facie* acceptance of the representation and the applicant shall be notified accordingly.
 - (b) a *prima facie* case is made out in the representation, the Controller shall, within one month of receiving the representation, pass an order recording his reasons and notify the applicant accordingly.
 - (B) in sub-rule (4) for the word 'three months', the word 'two months' shall be substituted;
 - (C) after sub-rule (5), the following sub-rules shall be inserted namely: -
 - "(5A.) The procedure specified in sub-rules (2) to (4) of rule 62 shall, as far as may be, apply to the procedure for hearing under this rule.
 - (5B) An application for a patent, in which a representation for opposition has been filed and notice has been issued by the Controller under rule 3, shall be examined in accordance with rule 24C.".
- 8. In rule 56 of the said rules, in sub-rule (4), for the word 'three months, the word 'two months' shall be substituted.
- 9. After rule 70 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely: -
 - **'70A. Certificate of inventorship.** (1) The Controller may issue a certificate of inventorship to an inventor in respect of a patent in force, on a request made by the inventor in Form-8A along with fee specified in the First Schedule.
 - (2) The Controller may issue a duplicate certificate of inventorship to an inventor in respect of a patent in force on a request made by the inventor in Form-8A along with the fee specified in the First Schedule and such request shall contain a statement setting out the circumstances in which the original certificate of inventorship was lost, destroyed, damaged or cannot be produced.'.
- 10. In rule 80 of the said rules, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely: -
 - "(3) The annual renewal fees payable in respect of two or more years may be paid in advance: Provided that where the renewal fees is paid in advance through electronic mode for a period of at least 4 years, a ten per cent reduction in fee shall be applicable for such renewal.".
- 11. In rule 110 of the said rules, in sub-rule (2):
 - a) for the words 'Patents Act and Rules', the words 'The Patents Act, 1970 (39 of 1970), The Patents Rules, 2003, The Designs Act, 2000 (16 of 2000) and The Designs Rules, 2001' shall be substituted;
 - b) for the words 'patent specifications', the words 'patent specifications, design specifications' shall be substituted.
- 12. In rule 131 of the said rules, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely,-
 - "(2) The statements referred to in sub-rule (1) shall be furnished once in respect of every period of three financial year, starting from the financial year commencing immediately after the financial year in which the patent was granted, and shall be furnished within six months from the expiry of each such period. Provided that the Controller may condone the delay or extend the time in filing of such statement for a period up to three months upon a request made in Form 4.".

- 13. Rule 137 of the said rules, shall be numbered as sub-rule (1) thereof and after sub-rule (1) as so renumbered, the following sub-rule shall be inserted namely, -
 - "(2) The provisions contained in sub-rule (1) shall be not be applicable for matters related to- (i) extension of time or condonation of delay under sub-rule (5) of rule 12; (ii) clause (i) of sub-rule (4) and sub-rule (6) of rule 20; (iii) rule 21; (iv) sub-rules (1), (5) and (6) of rule 24B; (v) sub-rules (10) and (11) of rule 24C; (vi) sub-rule (4) of Rule 55; (vii) sub-rule (1A) of rule 80; (viii) sub-rules (1) and (2) of rule 130; (ix) sub-rule(2) of rule 131."
- 14. For rule 138 of the said rules, the following rules shall be substituted, namely, -
 - "138. Power to extend time specified or condone delay: Notwithstanding anything contained in these rules, the time specified for doing any act or taking any proceeding thereunder may be extended or any delay may be condoned by the Controller for a period of up to six months, upon a request made in Form 4, where such request is made before the expiry of the said period of six months:

Provided that such request may be made any number of times within the specified period of six months.'.

15. In the said rules, for Table I of THE FIRST SCHEDULE, the following table shall be substituted, namely, -

TABLE I

"Number	On what payable	Number	For e	-filing	For physi	cal filing
of Entry		of the relevant Form	Natural person or startup or small entity or educational institution	Other(s), alone or with natural person or startup or small entity or educational institution		Other(s), alone or with natural person or startup or small entity or educational institution
1	2	3	4	5	6	7
1	2		Rupees	Rupees	Rupees	Rupees
	On application for a patent under sections 7, 54* or 135 and rule 20(1) accompanied by provisional or complete specification—	1	1600 Multiple of 1600 in case of	8000 Multiple of 8000 in case of every multiple priority.	1750 Multiple of 1750 in case of every	8800 Multiple of 8800 in case of every multiple priority.
	(i) for each sheet of specification in addition to 30, excluding sequence listing of nucleotides and/ or amino acid sequences under sub-rule (3) of rule (9);		(i) 160	(i) 800	(i) 180	(i) 880
	(ii) for each claim in addition to 10;		(ii) 320	(ii) 1600	(ii) 350	(ii) 1750
	(iii) for each page of sequence listing of nucleotides and/ or amino acid sequences under subrule (3) of rule (9).		(iii) 160 subject to a maximum of 24000	(iii) 800 subject to a maximum of 120000		Not allowed
	*An application for a patent made under section 54 shall be eligible for a reduction of 50 per cent in fee as compared to other applications.					
2.	On filing complete specification after provisional up to 30 pages having up to 10 claims –	2	No fee	No fee	No fee	No fee

(i) farranch alsa	-4 - C		(;) 100	(:) 900	(;) 100	(:) 990
(i) for each she specification in 30, excluding s	addition to equence		(i) 160	(i) 800	(i) 180	(i) 880
listing of nucle or amino acid s under sub-rule (9);	equences					
(ii) for each cla	im in		(ii) 320	(ii) 1600	(ii) 350	(ii) 1800
(iii) for each pa sequence listing nucleotides and acid sequences rule (3) of rule Note: A specific respect of an appropriate of a patent material section 54 shall	g of l/ or amino under sub- (9). cation in oplication de under		(iii) 160 subject to a maximum of 24000			Not allowed
for a reduction cent in fee as conter specificat	of 50 per ompared to					
3. On filing a stat undertaking un section 8.	ement and	3	No fee	No fee	No fee	No fee
4. i) On request for of time under s 53(2) and 142(13(6), 80(1A) a month).	ections 4), rules	4	480	2400	530	2600
ii) On request for fime or conducted delay (per monsub-rule (4) of sub-rule (2) or	onation of th) under rule 12 or	4	2000	10000	2200	11000
iii) On request extension of tir sub-rule (6) of (per month).	ne under	4	1000	4000	1100	4400
iv) On request extension of tir sub-rule (11) or (per month).	ne under	4	2000	10000	2200	11000
v) On request f of time under r month).		4	10000	50000	11000	55000
5. On filing a dec inventorship ur (6) of rule 13.		5	No fee	No fee	No fee	No fee
6. On application postdating.	for	-	800	4000	880	4400
7. On application of reference und 19 (2).		-	800	4000	880	4400
8. (i) On claim und 20(1);	der section	6	800	4000	880	4400
(ii) On request funder section 2 (5).		6	800	4000	880	4400

9.	(i) On notice of opposition to grant of patent under section 25(2);	7	8000	40000	Not allowed	Not allowed
	(ii) On filing representation opposing grant of patent under section 25(1).	7A	4000	20000	Not allowed	Not allowed
10.	On giving notice that hearing before Controller shall be attended under rule 62(2).	-	1500	7500	1700	8300
11.	On application under section 28(2).	8	No fee	No fee	No fee	No fee
	On application under sections 28(3) or 28(7).	8	800	4000	880	4400
12.	Certificate of inventorship under rule 70A.	8A	900	Not applicable	1000	Not applicable
13.	Request for publication under section 11A(2) and rule 24A.	9	2500	12500	2750	13750
14.	On application under section 44 for amendment of patent.	10	2400	12000	2650	13200
15.	On application for directions under section 51(1) or 51(2).	11	2400	12000	2650	13200
16.	On request for grant of a patent under sections 26(1) and 52(2).	12	2400	12000	2650	13200
17.	On request for converting a patent of addition to an independent patent under section 55 (1).	-	2400	12000	2650	13200
18.	For renewal of a patent under section 53—					
(i)	before the expiration of the 2nd year from the date of patent in respect of 3rd year;	-	800	4000	880	4400
(ii)	before the expiration of the 3rd year in respect of the 4th year;	-	800	4000	880	4400
(iii)	before the expiration of the 4th year in respect of the 5th year;	-	800	4000	880	4400
(iv)	before the expiration of the 5th year in respect of the 6th year;	-	800	4000	880	4400
(v)	before the expiration of the 6th year in respect of the 7th year;	-	2400	12000	2650	13200
(vi)	before the expiration of the 7th year in respect of the 8th year;	-	2400	12000	2650	13200
(vii)	before the expiration of the 8th year in respect of the 9th year;	-	2400	12000	2650	13200
(viii)	before the expiration of the 9th year in respect of the 10th year;	-	2400	12000	2650	13200
(ix)	before the expiration of the 10th year in respect of the 11th year;	-	4800	24000	5300	26400

(x)	before the expiration of the 11th year in respect of the 12th year;	-	4800	24000	5300	26400
(xi)	before the expiration of the 12th year in respect of the 13th year;	-	4800	24000	5300	26400
	before the expiration of the 13th year in respect of the 14th year;	-	4800	24000	5300	26400
(xiii)	before the expiration of the 14th year in respect of the 15th year;	-	4800	24000	5300	26400
(xiv)	before the expiration of the 15th year in respect of the 16th year;	-	8000	40000	8800	44000
(xv)	before the expiration of the 16th year in respect of the 17th year;	-	8000	40000	8800	44000
(xvi)	before the expiration of the 17th year in respect of the 18th year;	-	8000	40000	8800	44000
(xvii)	before the expiration of the 18th year in respect of the 19th year;	-	8000	40000	8800	44000
	before the expiration of the 19th year in respect of the 20th year.	-	8000	40000	8800	44000
	On application for amendment of application for patent or complete specification or other related documents under section 57—	13				
(i)	before grant of patent;		800	4000	880	4400
(ii)	after grant of patent;		1600	8000	1750	8800
	where amendment is for changing name or address or nationality or address for service.		320	1600	350	1750
	On notice of opposition to an application under sections 57(4), 61(1) and 87(2) or to surrender a patent under section 63(3) or to a request under section 78(5).	14	2400	12000	2650	13200
	On application for restoration of a patent under section 60.	15	2400	12000	2650	13200
	Additional fee for restoration under section 61(3) and rule 86(1).	—	4800	24000	5300	26400
23.	On notice of offer to surrender a patent under section 63.	_	No fee	No fee	No fee	No fee
24.	On application for the entry in the register of patents of the name of a person entitled	16	1600 (In respect of each patent)	8,000 (In respect of each patent)	1750 (In respect of each patent)	8,800 (In respect of each patent)

	to a patent or as a share or as a mortgage or as licensee or as otherwise or for the entry in the register of patents of notification of a document under sections 69(1) or 69(2) and rules 90(1) or 90(2).					
25.	On application for alteration of an entry in the register of patents or register of patent agents under rules 94(1) or rule 118(1).	_	320	1600	350	1750
26.	On request for entry of an additional address for service in the Register of Patents under rule 94(3).	_	800	4000	880	4400
27.	On application for compulsory license under sections 84(1), 91(1), 92(1) and 92A.	17	2400	12000	2650	13200
28.	On request for examination of application for patent—	18				
	(i) under section 11B and rule 24(1);		4000	20000	4400	22000
	(ii) under rule 20(4)(ii).		5600	28000	6150	30800
29.	On request for expedited or delayed examination of application for patent under rule 24C.	18A	8000	60000	Not allowed	Not allowed
30.	Conversion of the request for examination filed under rule 24B to request for expedited or delayed examination under rule 24C.	18A	4000	40000	Not allowed	Not allowed
31.	On application for revocation of a patent under section 85(1).	19	2400	12000	2650	13200
32.	On application for revision of terms and conditions of licence under section 88(4).	20	2400	12000	2650	13200
33.	On request for termination of compulsory licence under section 94.	21	2400	12000	2650	13200
34.	On application for registration as a patent agent under rule 109(1) or rule 112.	22	3200	Not applicable	3500	Not applicable
35.	On request for appearing in the qualifying examination under rule 109(3).	_	1600	Not applicable	1750	Not applicable
36.	For continuance of the name of a person in the register of patent agents—					
	for the 1st year to be paid along with registration;	_	800	Not applicable	880	Not applicable
	(ii) for every year excluding the 1st year	_	800	Not applicable	880	Not applicable

	to be paid on the 1st April in each year.					
37.	On application for duplicate certificate of patent agent under rule 111A.	_	1600	Not applicable	1750	Not applicable
38.	On application for restoration of the name of a person in the register of patent agents under rule 117(1).	23	1600 (Plus continuation fee under entry number 36)		1750 (Plus continuation fee under entry number 36)	Not applicable
39.	On a request for correction of clerical error under section 78(2).	_	800	4000	880	4400
40.	On application for review or setting aside the decision or order of the controller under section 77(1)(f) or 77(1)(g).	24	1600	8000	1750	8800
41.	On application for permission for applying patent outside India under section 39 and rule 71(1).	25	1600	8000	1750	8800
42.	On application for duplicate patent under section 154 and rule 132.	_	1600	8000	1750	8800
43.	(i) On request for certified copies under section 72 or for certificate under section 147 and rule 133(1).	_	1000 (up to 30 pages and, thereafter, 30 for each extra page)	and, thereafter, 150 for each extra page)	and, thereafter, 30 for each extra page)	and, thereafter, 150 for each extra page)
	(ii) On request for certified copies under section 72 or for certificate under section 147 and rule 133(2).		2400 (up to 30 pages and thereafter, 30 for each extra page)	(up to 30 pages and thereafter, 30 for each extra page)	and thereafter, 30 for each extra	
44.	For certifying office copies, printed each.	_	800	4000	880	4400
45.	On request for inspection of register under section 72, inspection under rule 27 or rule 74A.		320	1600	350	1750
46.	On request for information under section 153 and rule 134.	_	480	2400	530	2650
47.	On form of authorization of a patent agent.	26	No fee	No fee	No fee	No fee
48.	On petition not otherwise provided for.		1600	8000	1750	8800
49.	For supplying of photocopies of the documents, per page.		10	10	10	10
50.	Transmittal fee for international application.		3200	16000	3500	17600
51.	Transmittal fee for international application (for ePCT filing).	_	No fee		11	
52.	For preparation of certified copy of priority document and for transmission of the same to the International Bureau of World Intellectual	_	1000 (up to 30 pages and, thereafter, 30 for each	and, thereafter,	and, thereafter, 30	and, thereafter,

	Property Organization.		extra page)	extra page)	page)	extra page)
53.	For preparation of certified copy of priority document and e-transmission through WIPO DAS.		No fee	No fee	Not applicable	Not applicable
54.	On statement regarding working of a patented invention on a commercial scale in India under section 146(2) and rule 131(1).	27	No fee	No fee	No fee	No fee
55.	To be submitted for claiming the status of a small entity or startup.	28	No fee	No fee	No fee	No fee
56.	Application for withdrawing the application under section 11B(4), and rules 7(4A) and 26.	29	No fee	No fee	No fee	No fee
57.	Request for adjournment of hearing under rule 129A (for each adjournment).	-	1000	5000	1100	5500
58.	Miscellaneous form under rule 8(2), to be used when no other form is prescribed.	30		As app	plicable	
59.	Grace period.	31	500	2500	550	2750"

- 16. In the said rules, in THE SECOND SCHEDULE, in the LIST OF FORMS, -
- (i) for the entry corresponding to "Form-4", the following entry shall be substituted, namely, -

"4.	Sections 53(2) and 142(4), rules 12(5), 13(6), 24B(6),	Request for extension of time or
	24C(11), 80(1A), 130 and 138.	condonation of delay.";

(ii) after the entry corresponding to "Form-8", the following entry shall be substituted, namely, -

"8A.	Rule 70A.	Certificate of inventorship.";

(iii) after the entry corresponding to "Form-30", the following entry shall be inserted, namely, -

"31.	Section 31 and rule 29A	Grace period.".

- 17. In the said rules, in THE SECOND SCHEDULE: -
 - (i) for Form 1, the following Form shall be substituted, namely, -

"FORM 1		(FOR OFFICE US	SE ONLY)	
THE PATENTS AC	T 1970 (39 of 1970) and			
THE PATENTS RU	LES, 2003			
APPLICATION FO	OR GRANT OF PATENT			
(See section 7, 54 and	d 135 and sub-rule (1) of rule 20	0)		
		Application No.		
		Filing date:		
		Amount of Fee		
		paid:		
		CBR No:		
		Signature:		
1. APPLICANT'S I	REFERENCE /			
IDENTIFICATION	NO. (AS ALLOTTED BY			
OFFICE)				
2. TYPE OF APPL	ICATION [Please tick (✓) at	the appropriate categor	y]	
Ordinary ()	Convention ()	PC"	Г-NР ()	PPH()

Divisional ()		ent of dition (() Divis	sional	()()		Patent of Addition ()		Divisional ()			nt of ition ()	
3A. APPL	ICANT	(S)											
Name in	Gender		Nationali	ty		Count	try of	Age		Addre	ss of	the Applic	cant
Full	(option	al,		•		Resid	-	_	ional,			11	
	for								natural				
	individ	uals)							ons))				
	- Male							-		House	No.		
	- Fema	ile						year		Street			
	- Other	rs							efer not	City			
	- Prefe	r not						to d	isclose	State			
	to disc	lose								Count	rv		
										Pin co	-		
										Email			
										verific	•		
										manda	atory		
										-will b	e		
										redact	ed)		
										Conta	ct		
										numbe	er		
										(OTP			
										verifica			
										manda			
										-will b			
										redact	ed)		
3B. CATE		OF API	PLICANT	' [Plea									
Natural Pe	rson ()						ural Pers				I	Educationa	al institution ()
			Small En				Startup (Other	s ()			
4. INVEN						priate o	category]						
Are all the		` '		Yes	()				No ()				
applicant(s					()								
If "No", fu							-	-					
Name in	Gender		Nationali	ty	Age (opti			Country of Address of		s of the	Inver	ntor	
Full	(option				for natura	al	Residen	ce					
	for natu				persons)								
	persons								TT	νT.			
	- Male				ye - Prefer n				House l	NO.			
	- Fema				disclose	101 10							
	- Onlei								City		_		
	to disc								State		_		
	to disc.	1030							Country Pin cod				
5 mm r	OF TH	C INIXI	CNITTONI						Pin cod	e			
5. TITLE	Or THI	r III V I	LNIIUN										
C ATIMITE	Diger	DEC	СТЕВЕР	DAT	PENT		IN/PA	Na					
6. AUTHO		KEGI	IS I EKEL	rA	LCNI			INO.					
AGENT(S)						Name	N _c	OTP				
							Mobile verifica		(OIP				
							mandat		vill ba				
							redacte	-	viii be				
7. ADDRE	CC EAT	CED	VICE OF	A DT	OT TO A NITE	TNI	Name	u <i>)</i>					
7. ADDRE INDIA	SS FUI	A SEK	VICE OF	AFF	LICANI	111	Postal	Addre	ess				
							i i Obtai i	· wuit	-00				

				Telepho	one No.		
				Mobile No. (OTP			
			verification				
				mandat	ory-will be		
				redacte	d)		
				Fax No			
					ID (OTP		
				verifica	tion		
				mandat	ory-will be		
				redacte	d)		
		TION CLAIM ARS OF CONVI				FILED IN CONVENTION	
	•			LICATI	Title of the	IPC (as classified in the	
Country	Application	Filing date	Name of the			,	
	Number		applicant		invention	convention country)	
						OF INTERNATIONAL	
		NDER PATEN	T CO-OPERA		` ′		
Internation	al application nu	mber		Internat	ional filing date		
			ATION FILEI	UNDE:	R SECTION 16	, PARTICULARS OF	
	L (FIRST) APP						
Original (fi	rst) application I	No.		Date of filing of original (first) application			
	SE OF PATENT TION OR PAT		N FILED UNI	DER SE	CTION 54, PAF	RTICULARS OF MAIN	
	cation/patent No.			Date of	filing of main ap	pplication	
	ARATIONS				<i>C</i> 1	1	
	tion by the inve	ntor(s)					
			ventor(s) may	sign here	ein below or the	applicant may upload the	
		_		-		ignment by post/electronic	
_		ated within the pr		_		Secretary by Least contraction	
	•	-	-) for this Invention	on and declare that the applicant(s)	
		e or legal represe		, 611101 (5)	, 101 01113 111 01101	on and accinic man are approxim(s)	
(a) Date	e my our assigne	or regul repress					
(b) Signatu	re(s)						
(c) Name(s							
		licant(s) in the	convention co	ıntrv			
				-	the convention o	country: the applicant in the	
						gnment from the applicant in the	
				-	_	send the assignment by	
	•	duly authenticat			-	send the assignment by	
						s/are my/our assignee or legal	
representat		convention cour	iti y deciare tila	и инс арр	neant(s) herein i	s/arc my/our assigned or legar	
-	ive.						
(a) Date	(.)						
(b) Signatu							
	of the signatory						
	ration by the ap						
1/ we the ap	-	y declare(s) that:		4 1			
	_	in possession of				1 14 41 12 2	
	_			_		d with this application.	
	_		•		•	terial from India and the necessary	
	permission fi	om the compete	ent authority sl	hall be s	ubmitted by m	e/us before the grant of patent to	

Total fee ₹ Bank.	In Cas	on Lumber of Chiefut / Lumb Li	······································	2 4.0				
	: C	sh/ Banker's Cheque /Bank Dr	raft bearing No	Date	on			
(i) Power of <i>A</i> (j)	•							
		orsinh on Louin S						
-		aking on Form 3 orship on Form 5						
Patentability.	and Hede	aking on Form 2						
	n of priority	document/Specification/Inter	national Search R	eport/International	l Preliminary Report on			
	• •	uested the office of first filing	-	•				
-		or a request to retrieve the price	-	_				
	-	PEA), as applicable (2 copies)						
		nation with the international ap		nded before the In	ternational Preliminary			
(c) Sequence	_							
-		Authority (IPEA), as applicab	ble (2 copies).					
		on (in conformation with the in		ation)/as amended	before the Internationa			
		provisional specification are r	-					
specification	as the drawi	ngs or part of the drawings for	r the complete spe	ecification under ru	ale 13(4), the number of			
# In case of a	complete sp	pecification, if the applicant de	esires to adopt the	drawings filed wit	th his provisional			
	<i>₽</i> · ·	pages						
No. of Drawi	ng(s)	No. of drawings and No. of						
Abstract		No. of pages						
	` '	pages						
No. of Claim		No. of claims and No. of						
specification)		F - O						
Complete/ pr	ovisional	No. of pages						
Item		Details	Fee	Rema	arks			
(a) Form 2	, II (O IIII			10111011				
13. FOLLOV	WING ARE	THE ATTACHMENTS W	ITH THE APPL	ICATION				
	in Paragrap	oh-11.						
	The said in	nvention is an improvement in	or modification of	of the invention pa	rticulars of which are g			
	16 of the A	Act.						
		nis application may be treated	as deemed to hav	e been filed on DI	J/MM/YYYY under sec			
		-						
		ation is divided out of my /ou	ir application post	joulars of which is	e given in Deregmenh 16			
	-	ed in Paragraph-9.	при	with a work	(I			
	-	plication in India is based on i						
	country be	fore that date by me/us or by a	any person from w	hich I/We derive t	the title.			
	and state t	hat no application for protect	ion in respect of	the invention had	been made in a conver			
	I/We clain	n the priority from the above	mentioned applic	ation(s) filed in co	onvention country/coun			
	application	in convention country/countr	ries in respect of n	ny/our invention(s)).			
	The applic	ation or each of the application	ons, particulars of	which are given i	n Paragraph-8, was the			
	I am/we ar	e the assignee or legal represe	ntative of true & f	first inventor(s).				
	I am/we ar	e the true & first inventor(s).						
	There is no lawful ground of objection(s) to the grant of the Patent to me/us.							

Signature:		ay 01		20	•••••		
Name:							
To,							
The Controller of							
The Patent Office	e, at						
Note: - * Repeat boxes in * To be signed by		-	d re	egistered natent age	nt otherwise where m	entioned	
				icable in declaration		entioned.	
				in full, family nam			
* Strike out the po		e not applicable	э.				
* For fee: See Firs	st Schedule.";						
(ii) fo	r Form 3, the foll	owing Form sh	nall	be substituted, nam	nely, -		
				"FORM 3			
		TI	HE	PATENTS ACT, 1	970		
				(39 of 1970)			
				and			
		TH	ΕP	ATENTS RULES,	2003		
	STA	TEMENT AN	D U	INDERTAKING U	UNDER SECTION 8	3	
		(See s	ub-	rule (2) and (3) of R	Rule 12)		
1. Name of the	applicant(s).		I/	We			
			٠.				
			٠.				
			h	ereby declare:			
2. Name addre	ess and nationalit	v of the joint	(i) that I/We who have made the application for patent number				
applicant.	oss and nationality	y or the joint	in India, dated, alone/jointly with,				
			(ii) that I/We have not made any application for the same/substantially the same invention outside India				
			Or				
			aj		ent in the other count	ostantially same invention, ries, the particulars of	
Name of the	Date of	Application	•	Status of the	Date of	Date of disposal	
country	application	No.		application	publication		
3 Name and a	ddress of the assi	gnee	(i) that the rights in t	he annlication(s) filed	l in India has/have been	
J. I vallic and a	daress of the assi	Siice	(1	, mai me rigino ili u	ne application(s) inco	i ili iliula ilas/ilave beell	

	assigned to
	(ii) that I/We undertake that upto the date of grant of the patent by the Controller, I/We would keep him informed in writing regarding the details of corresponding applications for patents filed outside India in accordance with the provisions contained in section 8 and rule 12. Dated thisday of20
4. To be signed by the applicant or his	Signature
authorized registered patent agent.	
5. Name of the natural person who has	().
-	().
signed.	
	То
	The Controller of Patents,
	The controller of Futerius,
	The Detent Office
	The Patent Office,
	at
Note Strike out whichever is not applicable;	"·
Tr ,	

(iii) for Form 4, the following Form shall be substituted, namely, -

FORM 4							
	THE PATENTS ACT, 1970						
	(39 of 1970)						
	and						
	THE PATENTS RULES, 2003						
REQUEST FOR	R EXTENSION OF TIME OR CONDONATION OF DELAY						
[See sections 53(2), and 1	42 (4); rules 12(5), 13(6), 24B(6), 24C(11), 80(1A), 130, 131(2) and 138]						
1. Name of the applicant	I/We						
11							
	hereby request for						
	extension of time for months(s) under						
	section/rulein connection with my/our/application/Patent						
	No						
	The reasons for making the request are as follows:-						
	The reasons for making the request are as follows.						
	Dated thisday of20						
2. To be signed by the applicant	·						
2. To be signed by the applicant	Signature						
or his authorized registered	()						
patent agent							
3. Name of the natural person							
who has signed							
	То						
	The Controller of Patents,						
	The Patent Office,						
	at						
Note For fee: See First Schedule	2.";						

	FORM 8A
	THE PATENTS ACT, 1970
	(39 of 1970)
	and
	THE PATENTS RULES, 2003
	Certificate of Inventorship
	[See rule 70A]
1. Name of the Inventor, and	I
Patent Number.	, Inventor in respect of Patent
	Number, hereby request for the grant of a 'Certificate of
	Inventorship' in respect of the Patent.
	OR
	I
	, Inventor in respect of Patent Number, hereby request for the grant of a duplicate
	certificate of inventorship in respect of the Patent. The statement setting out the
	circumstances in which the original certificate of inventorship was lost, destroyed, damaged or cannot be produced are as follows:
	destroyed, damaged of cannot be produced are as follows.
2. To be signed by the inventor	
and the date of filing of this	Signature ²
request.	(BELOW INFORMATION IS MANDATORILY REQUIRED TO BE
1	SUBMITTED)
	(Name of the Inventor who has signed)
	Aadhaar number of the Inventor (for indian inventors)
	House No.
	Apartment/Street
	City
	State
	Country
	Pin Code
	Mobile Phone: (OTP verification mandatory-will be redacted)
	Email: (OTP verification mandatory-will be redacted) Dated thisday of20 ²
	To
	The Controller of Patents,
	The Patent Office,
The state of the s	at
L Note - This Certificate does not in	any manner whatsoever, confer or derogate from any rights under the patent ".

(v) for Form 27, the following Form shall be substituted, namely, -

"FORM 27

THE PATENTS ACT, 1970 (39 of 1970)

AND

THE PATENTS RULES, 2003

No Fee

STATEMENT REGARDING THE WORKING OF PATENTED INVENTION(S) ON A COMMERCIAL SCALE IN INDIA

[See section 146(2) and rule 131(1)]

1.	Insert name, address,		Licensee, in respect of	of patent number(s),	
	nationality, patent	furnish this statement,			
	number(s).	(Explanation: One form	may be filed in respect of multip	le patents, provided all of them	
		are related patents and a	are granted to the same patentee(s))).	
2.	State the financial year	in respect of the financia	al year		
	to which the statement				
	relates.				
3.	Worked / not worked.	Patent Number(s)	Worked [Tick (✓) if	Not worked [Tick (✓) if	
	Please state whether		applicable]	applicable]	
	each patent in respect of which this form is being				
	filed is worked or not worked.				
	worked.				
4.	If not worked, please	Patented Invention	is under development/ commerci	al trial	
	tick the appropriate	Patented Invention is under Review/approval with Regulatory authorities			
	reasons	Exploring commer	cial licensing		
		Any other, may sp			
5.	Whether the patent is	YES			
	available for licensing	In case of YES, would ve	ou be interested in receiving com	munications from any person	
		interested in seeking a lie	cense. If so, kindly provide contact		
		Email address:			
			ated above are true to the best of	my/ our knowledge,	
		information and belief.			
		Dated this day of	20		
6.	To be signed by	Signature(s)			
	Patentee(s) / Licensee /				
	Authorised Agent				
	furnishing the statement.	То			
		The Controller of Paten	ts,		
		The Patent Office,			
		at			

- Note: 1. Every patentee and every licensee (exclusive or otherwise) is required to file this Form; where a patent is granted to two or more persons, this form may be filed jointly by all or any of such persons.
- 2. Subject to conditions specified under the Patent Act, 1970 a patented invention shall not be considered as 'not worked' merely on the ground that the patented product has been imported in India.".
 - (vi) after Form 30, the following Form shall be substituted, namely:-

"FORM 31

THE PATENTS ACT, 1970 (39 of 1970) AND

THE PATENTS RULES, 2003

GRACE PERIOD

[See section 31 and rule 29A]

Name, address, nationality, and	I/ We, the applicant, in respect of application number, filed on hereby claim the benefit of grace period provided under section 31.		
application number.			
11			
2. Applicable provision	Section 31(a) Section 31(b)		
	Section 31(c)		
2 Decements to be	Section 31(d)	Twee c	
3. Documents to be	(i) Section 31(a)	With reference to: a) the earliest date of display or use BOX FOR DDMMYYYY;	
submitted as evidence.		and	
Note: Evidence may also include an affidavit.		b) that the display occurred with the consent of the true and first	
		inventor or a person deriving title from him; and YES NO	
		c) that the display occurred at an industrial or other exhibition to	
		which the provisions of this section have been extended by	
		the Central Government by notification in the Official	
		Gazette;	
		the following documentary evidence is submitted:	
	(ii) Section 31(b)	With reference to:	
		a) the earliest date of publication or use;	
		b) the documentary evidence in respect of section 31(a) above;	
		and	
		c) the documentary evidence to the effect that the publication of	
		any description of the invention occurred in consequence of	
		the display or use of the invention as stated in section 31(b);	
		the following documentary evidence is submitted:	
	(iii) Section 31(c)	With reference to: a) the earliest date of use;	
		b) the documentary evidence in respect of section 31(a) or	
		section 31(b) as mentioned above; and	

		c) the documentary evidence regarding use of the invention as
		stated in section 31(c); and
		d) the documentary evidence or affidavit that the use of the
		invention occurred without the consent of the true and first
		inventor or a person deriving title from him;
		the following documentary evidence is submitted:
	(iv) Section 31(d)	With reference to:
	(iv) beetion 31(d)	a) the earliest date of description or publication;
		b) the description of the invention in a paper read by the true
		and first inventor before a learned society;
		c) the description of the invention published by the true and first
		inventor or with his consent in the transactions of a learned
		society;
		the following documentary evidence is submitted:
4. Undertaking	•	s in the public domain from DDMMYYYY and this application is months from that date (earliest date as stated above in respect of 1(c) or 31(d))
		stated above are true to the best of my/ our knowledge, information
	and belief.	
	Dated this day of	of 20
5. To be signed by	Signature(s)	
Applicant / Authorised		
Agent.	To The Controller of Park	
Note: Affidavit, if any,	The Controller of Pate The Patent Office,	ents,
shall be signed by the	at	
applicant.		
Note: Select the options that	are applicable.".	

18. In the said rules, for THE FOURTH SCHEDULE, the following Schedule shall be substituted, namely,-

"THE FOURTH SCHEDULE

[See proviso to rule 136(1)]

	[500 Provide to take 10 o(1)]			
Number of Entry	Matter in respect of which cost to be	Amount (in rupees)	
	awarded	Natural person(s) or	Other(s), alone or with	
		Startup(s) or Small entit(y)/	natural person(s) or Startup(s)	
		(ies) or educational	or Small entit(y)/ (ies) or	
		institution(s)	educational institution(s)	
1.	For notice of opposition under	2400	12000	
	sections 25, 57, 60, 63, 78, 87(2) or			
	88(4).			
2.	For application for compulsory	1500	6000	
	licence under sections 84(1), 91(1)			

		or 92(1).					
	3.		n for revision of to s of licence under	erms		2400	1200
	4.	For notice of i hearing under	ntention to attend rule 62(2).	the		1500	600
	5.	where a patent	power of attorney t agent or other pe inted or stamp fee vant affidavits.	rson	The amount actual	ly paid	The amount actually pai
	6.	For written sta	ntement under rule ment under rule 58 wit, if relevant.			4000	500
,	7.		ment of publications proceedings, if	on		1600	200
	8.	For each unnecessary or irrelevant affidavit or citation. For every day or part day of hearing before the Controller.		ant		1600	200
	9.			ring		4000	500
	10.	Sub-rule (2) o	f rule 136		Aggregate of amounts actually paid in respecentries 1, 2, 12, 27, 28 of the First Schedule, a may be applicable	t of , 29	Twice the aggregate of amounts actually paid in respect of entries 1, 2, 12, 27, 28, 29 of the First Schedule, as may be applicable".
9.	In the said	d rules, in the F	IFTH SCHEDUL	E, foi	r the headings,		
"Sl. No.	(Relevant provision of Patents Rules, 2003, if und		Relevant Rule of regulations under the Treaty	regulations ler the		Other than natural person either alone or jointly with natural person",	
ne fol	lowing he	adings shall be	substituted, namel	y: -			
"S. No.	On what		Relevant Rule of regulations	Nat	ural person(s) or tup(s) or Small		r(s), alone or with natural n(s) or Startup(s) or Small

[F. No. P-24031/14/2023-IPR-III] HIMANI PANDE Jt. Secy.

entit(y)/ (ies) or educational

institution(s)".

Note: The said rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii), *vide* number S.O. 493 (E) dated the 2nd May, 2003 and last amended, *vide* notification number G.S.R. 646 (E) dated the 21st September, 2021.

entit(y)/ (ies) or

educational institution(s)

Patents Rules, 2003, if

any)

under the

Treaty